

पीएम विश्वकर्मा - कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उद्यम बढ़ाने में सक्षम बनाना।

उद्देश्य:

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना, ताकि वे योजना के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन सकें।
- उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना तथा उनके लिए प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
- उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर एवं आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों को जमानत मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा ब्याज अनुदान प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद मिल सके।

मुख्य लाभ

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता प्रदान करना।
- कौशल उन्नयन: 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, 500 रुपये प्रतिदिन का वजीफा और 1,000 रुपये का परिवहन भत्ता।
- टूलकिट प्रोत्साहन: ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
- 3 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण', 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की दो किस्तों में, क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ, 5% की रियायती ब्याज दर पर, भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक अनुदान के साथ।
- डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी को प्रति पात्र डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये की राशि, अधिकतम 100 पात्र लेनदेन मासिक तक प्रदान की जाएगी।
- GeM जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता, ताकि मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार हो सके।

कौन आवेदन कर सकता है:

- इस योजना में 18 ट्रेडों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। अर्थात (i) बढ़ई (सुथार/ बधाई); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवचकार; (iv) धातुकार/धातु ढलाईकार (लोहार); (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) सुनार (सोनार); (viii) कुम्हार (कुम्हार); (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/जूते बनाने वाला; (xi) राजमिस्त्री (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/नाई बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई (नाई); (xv) माला निर्माता (मालकार); (xvi) धोबी; (xvii) दर्जी (दर्जी); और (xviii) मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला

आवेदन कैसे करें:

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया निकटतम सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) पर जाएं।

विस्तार में जानकारी:

- विस्तृत जानकारी के लिए देखें: <https://pmvishwakarma.gov.in/>